

आतंकवाद की राजनीति: सत्ता, सहानुभूति और कानून का चयनात्मक प्रयोग

आधुनिक राजनीतिक विमर्श में “आतंकवाद” से अधिक वजनदार — या अस्पष्ट — शब्द बहुत कम हैं। यह एक साथ नैतिक निंदा, कानूनी वर्गीकरण और हिंसा या दमन का औचित्य है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि **यह एक राजनीतिक हथियार है**, जिसका प्रयोग चयनात्मक और अक्सर असंगत ढंग से किया जाता है। दर्जनों अंतरराष्ट्रीय समझौतों और परिभाषाओं के बावजूद, आतंकवाद की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कानूनी परिभाषा आज तक नहीं है — न इसलिए कि यह अवधारणा स्वभाव से अस्पष्ट है, बल्कि इसलिए कि **यह लेबल स्वयं सत्ता द्वारा गढ़ा जाता है**।

इस असंगति के केंद्र में एक खतरनाक दोहरा मापदंड है: **गैर-राज्य अभिकर्ताओं के कार्यों को आसानी से आतंकवाद कहा जाता है**, जबकि **राज्य-मान्यता प्राप्त देशों द्वारा किए गए कार्यतः समान कार्यों को “सैन्य अभियान,” “प्रतिशोध,” या “सहायक क्षति” जैसे शब्दों से स्वच्छ कर दिया जाता है**। यह केवल शाब्दिक नहीं है — इससे यह तय होता है कि कौन वैध माना जाएगा, किसकी हिंसा स्वीकार्य होगी और किसके दुख को मान्यता मिलेगी।

फिलिस्तीनी संघर्ष इस दोहरे मापदंड का एक स्पष्ट और निरंतर उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब फिलिस्तीनी हिंसा का प्रयोग करते हैं — चाहे कब्जे के खिलाफ, जमीन वापस लेने के लिए या व्यवस्थित मताधिकार-हरण के विरोध में — उसे प्रभुत्वशाली शक्तियों द्वारा लगभग हमेशा “आतंकवाद” कहा जाता है। जब इजरायली सेनाएँ असमानुपातिक बल प्रयोग करती हैं, शरणार्थी शिविरों पर बमबारी करती हैं, विदेशों में नेताओं की हत्या करती हैं या बसावटकर्ता पोग्रोम को सक्षम बनाती हैं, तो प्रतिक्रिया को आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा की भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, न कि आतंकवाद की।

यह निबंध तर्क देता है कि **आतंकवाद का लेबल लगाना मुख्य रूप से कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक है**। यह **शक्तिशाली राज्यों के हितों और सहानुभूतियों को प्रतिबिंबित करता है**, न कि कानूनी मानकों के सुसंगत अनुप्रयोग को। इसके अलावा, यह सुझाता है कि **अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत समान व्यवहार की फिलिस्तीनी मांग प्रबोधन युग के मूल संघर्ष को प्रतिबिंबित करती है**: मनमानी विशेषाधिकारों का खारिज करना और यह आग्रह कि **कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए** — व्यक्ति, जनता और राज्य सब पर।

यूएनजीए संकल्प 49/60 और आतंकवाद की कानूनी परिभाषा

1994 में अपनाया गया **संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 49/60** ने आतंकवाद को सार्वभौमिक रूप से परिभाषित करने की कोशिश की। इसके संलग्न घोषणापत्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने के उपायों की निंदा की गई है:

“अपराधपूर्ण कृत्य, जिनमें नागरिकों के खिलाफ भी शामिल हैं, जिनका इरादा मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट पहुँचाना या बंधक बनाना है, जिनका उद्देश्य सामान्य जनता या व्यक्तियों के किसी समूह या विशेष व्यक्तियों में आतंक की स्थिति पैदा करना, जनसंख्या को डराना या किसी सरकार या अंतरराष्ट्रीय संगठन को कोई कार्य करने या न करने के लिए बाध्य करना है।”

महत्वपूर्ण बात यह है कि संकल्प अपनी परिभाषा में **राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ताओं में कोई भेद नहीं करता**। मापदंड स्पष्ट हैं: **नागरिकों के खिलाफ जानबूझकर की गई हिंसा जो डराने, बाध्य करने या राजनीतिक परिणाम प्राप्त करने के लिए की गई हो**, वह आतंकवाद है। सिद्धांत रूप में, यह किसी भी अभिकर्ता — राज्य या अन्य — पर लागू हो सकता है।

व्यवहार में, हालांकि, इस संकल्प को **राज्य कार्यों पर लगभग कभी लागू नहीं किया गया**, भले ही वे परिभाषा को पूरी तरह पूरा करते हों। कारण कानूनी अस्पष्टता नहीं है। कारण **शक्तिशाली राज्यों या उनके सहयोगियों को नाम लेकर शर्मिंदा करने की राजनीतिक अनिच्छा** है। जब गैर-राज्य अभिकर्ता ऐसा करते हैं, तो “आतंकवाद” का लेबल तत्काल और

अटल होता है। जब राज्य करते हैं — विशेष रूप से मान्यता प्राप्त, सैन्य रूप से प्रभुत्वशाली या भू-राजनीतिक रूप से संरक्षित राज्य — तो लेबल स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहता है।

राज्य बनाम गैर-राज्य: अनुप्रयोग में दोहरा मापदंड

इजरायली राज्य सेनाओं द्वारा किए गए अनेक अभियानों — पूर्व-राज्य हगाना और इर्गुन से लेकर आधुनिक आईडीएफ और मोसाद तक — में **नागरिकों को निशाना बनाना, सामूहिक दंड और विदेशों में हत्याएँ** शामिल रही हैं। यूएनजीए 49/60 के सख्त मापदंडों के तहत इनमें से कई कार्य **आतंकवाद की परिभाषा में फिट बैठते हैं**:

- **किब्या नरसंहार** (1953): 69 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, ज्यादातर महिलाएँ और बच्चे, “घुसपैठ रोकने” के लिए दंडात्मक छापे के तहत।
- **गाजा अभियान** (2008, 2014, 2021, 2023–25): हजारों नागरिक मारे गए, संयुक्त राष्ट्र स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी, भोजन और पानी की नाकाबंदी — अक्सर इसे आतंकवाद-विरोध के रूप में उचित ठहराया गया, भले ही इसका प्रभाव पूरे आबादी को **डराने** के समान था।
- **रैथ ऑफ गॉड हत्याएँ** (1970-e): यूरोप और मध्य पूर्व में संदिग्ध उग्रवादियों — और कुछ मामलों में नागरिकों — को मारने के लिए कार बम और मेल बम।
- **बसावटकर्ता हिंसा को सक्षम करना**: हुवारा जैसे कस्बों में पोग्रोम से लेकर फिलिस्तीनी किसानों और बच्चों पर व्यवस्थित हमले तक, बसावटकर्ता हिंसा को नियमित रूप से **सैन्य संरक्षण या उदासीनता** मिलती है, जिससे इसे राज्य नीति का एक अंग मान्यता मिलती है।

इनमें से किसी भी कार्य को अंतरराष्ट्रीय समुदाय — यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी — कभी “आतंकवाद” नहीं कहता। इस्तेमाल की जाने वाली भाषा “प्रतिशोध,” “सुरक्षा,” या “सैन्य आवश्यकता” की होती है। अधिक से अधिक इन्हें **अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन** कहा जाता है, जिन्हें युद्ध अपराध या समानुपातिकता का उल्लंघन माना जाता है — आतंकवाद नहीं।

फिलिस्तीनी हिंसा और लेबल की सार्वभौमिकता

इसके विपरीत, फिलिस्तीनी हिंसा — भले ही सैन्य लक्ष्यों पर निर्देशित हो या प्रतिरोध के रूप में प्रस्तुत की जाए — को **सार्वभौमिक रूप से आतंकवाद कहा जाता है**। दूसरी इतिहास के दौरान आत्मघाती बम विस्फोटों से लेकर गाजा से रॉकेट फायर तक, लेबल तत्काल और पूर्ण होता है। यहाँ तक कि फिलिस्तीनियों द्वारा **अहिंसक प्रतिरोध** — जैसे बाँयकाँट, डिवेस्टमेंट और सैंकशंस (बीडीएस) आंदोलन — को भी कुछ देशों द्वारा अपराधीकृत या “आतंकवादी समर्थन” के बराबर किया जाता है।

असमानता स्पष्ट है: फिलिस्तीनियों का मूल्यांकन उनके परिणामों से किया जाता है, संदर्भ चाहे जो हो। इजरायल का मूल्यांकन उसके इरादों से किया जाता है, परिणाम चाहे जो हों।

मान्यता, सहानुभूति और सत्ता की भूमिका

यह विसंगति एक मूल राजनीतिक तथ्य से उत्पन्न होती है: **आतंकवाद का लेबल कानूनी निकायों द्वारा अलग-थलग नहीं लगाया जाता, बल्कि शक्तिशाली राज्यों, मीडिया संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा लगाया जाता है जो** राजनीतिक गठजोड़ों और राजनीतिक सहानुभूतियों से प्रभावित होते हैं।

- **राज्य मान्यता** वैधता प्रदान करती है। इजरायल, एक मान्यता प्राप्त राज्य के रूप में, बल प्रयोग का संप्रभु अधिकार रखता है। फिलिस्तीनियों को, पूर्ण मान्यता और राज्यत्व के अभाव में, अवैध अभिकर्ता माना जाता है — भले ही वे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अधिकारों का हवाला दें (जैसे, संकल्प 37/43 के तहत कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध का अधिकार)।
- **राजनीतिक सहानुभूति** मायने रखती है। पश्चिम में इजरायल को लोकतंत्र, क्षेत्रीय सहयोगी, उग्रवाद के खिलाफ किला माना जाता है। इससे एक निहित **सद्भावना की धारणा** बनती है। फिलिस्तीनियों को इस्लामवाद, तानाशाही या

आतंकवाद से जोड़ा जाता है — जिससे **दुर्भावना की धारणा** बनती है। ये सहानुभूतियाँ न केवल मीडिया फ्रेमिंग, बल्कि कानूनी और कूटनीतिक भाषा को भी आकार देती हैं।

- **सत्ता निर्णय से बचाती है।** संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर, मजबूत सैन्य गठजोड़ (जैसे अमेरिका के साथ) या आर्थिक प्रभाव वाले राज्य शायद ही कभी अंतरराष्ट्रीय अभियोजन या लेबलिंग के अधीन होते हैं। यही कारण है कि आतंकवाद, युद्ध अपराधों की तरह, अक्सर **केवल कमजोरों द्वारा किए जाने पर ही दंडित होता है।**

फिलिस्तीनी संघर्ष और प्रबोधन आदर्श

मूल रूप में, फिलिस्तीनी मांग केवल भूमि, संप्रभुता या मान्यता की नहीं है — यह **कानून के समान अनुप्रयोग की मांग है।** यह मांग है कि **दूसरों पर लागू होने वाले वही सिद्धांत उन पर भी लागू हों** — चाहे प्रतिरोध का अधिकार हो, जीवन का अधिकार हो या न्याय का अधिकार।

इस अर्थ में, फिलिस्तीनी संघर्ष **प्रबोधन युग के मूल संघर्षों को प्रतिबिंबित करता है।** जैसे 18वीं सदी के विचारकों ने **राजाओं के दैवीय अधिकार** को खारिज किया — यह धारणा कि कुछ शासक जन्म या पद के आधार पर कानून से ऊपर हैं — वैसे ही आज फिलिस्तीनी **राज्यों की कानूनी जवाबदेही से छूट** को खारिज करते हैं।

रूसो, मॉटेस्क्यू और कांट जैसे प्रबोधन विचारकों ने तर्क दिया कि **कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए**, वरना वह कानून नहीं, अत्याचार है। उन्होंने तर्क दिया कि **संप्रभुता जनता के पास है**, न कि उन शासकों के पास जो इसे मनमाने ढंग से दावा करते हैं। फिलिस्तीनी भी यही तर्क देते हैं कि **राज्यत्व यह तय नहीं करना चाहिए कि किसे मानवीय माना जाए, किसे अपराधी ठहराया जाए या किसके दुख मायने रखते हैं।**

एक बम विस्फोट को आतंकवाद कहना और दूसरे को सुरक्षा कहना — जबकि साधन और उद्देश्य समान हों — कुलीनतंत्र की तर्क-प्रणाली को पुनर्जनन है: कि **कुछ जीवन पवित्र हैं, और अन्य व्यययोग्य।** कि कुछ लोगों को प्रतिरोध का अधिकार है, और दूसरों को केवल पीड़ा सहने का अधिकार।

सुसंगत कानून की मांग — चाहे जिनेवा कन्वेंशंस लागू करना हो, युद्ध अपराधों का अभियोजन हो या आतंकवाद की परिभाषा — केवल न्याय की मांग नहीं, बल्कि **आधुनिकता स्वयं की मांग है।**

निष्कर्ष: सार्वभौमिक मानक की ओर

अगर आतंकवाद को राजनीतिक गाली से अधिक — एक सार्थक कानूनी श्रेणी — बनना है, तो इसे **सुसंगत रूप से लागू करना होगा।** इसका मतलब है:

- यह मान्यता कि **राज्य अभिकर्ता भी आतंकवाद कर सकते हैं**, जैसे गैर-राज्य अभिकर्ता कर सकते हैं।
- यह स्वीकारोक्ति कि **राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों को निशाना बनाना** आतंकवाद है, चाहे अभिकर्ता का झंडा, धर्म या रणनीतिक मूल्य कुछ भी हो।
- यूएनजीए 49/60 जैसे कानूनी परिभाषाओं को **अभिकर्ताओं पर नहीं, कार्यों पर लागू करना।**

ऐसा न करना केवल अन्याय को बनाए रखता है — यह अंतरराष्ट्रीय कानून की मूल अवधारणा को कमजोर करता है। यह दुनिया को बताता है कि कानून सार्वभौमिक नहीं, बल्कि शक्तिशाली का हथियार है। यह उत्पीड़ितों को बताता है कि उनका एकमात्र अपराध कमजोरी है।

कानून के तहत समान अधिकार, समान संरक्षण और समान निर्णय की फिलिस्तीनी पुकार कोई उग्र मांग नहीं है — यह **प्रबोधन का सार है**, और किसी भी सभ्यता का मापदंड जो इसे सम्मान देने का दावा करती है।

परिशिष्ट: यूएनजीए संकल्प 49/60 के सख्त शाब्दिक परिभाषा को पूरा करने वाले घटनाक्रम

राज्य या राज्य-समर्थित अभिकर्ताओं को सामान्य छूट के बिना लागू किया गया।

A. नरसंहार (नागरिकों की बड़ी संख्या में जानबूझकर हत्या करके आतंकित करना और भागने या समर्पण के लिए बाध्य करना)

क्र.	घटना	तारीख	अपराधी	स्थान	हताहत	क्यों परिभाषा में फिट बैठती है
A1	किंग डेविड होटल बम विस्फोट	22 जुलाई 1946	इर्गुन ज्वाई लेउमी (मेनाहेम बेगिन)	यरुशलम	91 मरे (41 अरब, 28 ब्रिटिश, 17 यहूदी, अन्य)	ब्रिटिश प्रशासनिक मुख्यालय में नागरिक कर्मचारियों वाले भवन में बम रखा गया ताकि कब्जेदारों को मारकर और अनिवार्य सरकार को फिलिस्तीन छोड़ने के लिए डराया जाए। सोते परिवारों के घरों पर रात में बमबारी, पास के घटना के बदले अरब गाँवों को डराने और गृहयुद्ध के दौरान व्यापक आतंक संकेत देने के लिए। रिफाइनरी हमले के बाद गाँव पर प्रतिशोधी हमला; घरों में अधिकतम वयस्क पुरुषों को मारने के आदेश ताकि डर पैदा हो और अरब प्रतिरोध रोक़ा जाए। निवासियों के अंदर घरों को उड़ाना; गलील गाँवों को भागने के लिए डराने हेतु स्पष्ट "मॉडल छापा"।
A2	अल-खिसास नरसंहार	18 दिसंबर 1947	पालमाख (हगाना एलीट यूनिट)	अल-खिसास, गलील	10-15 ग्रामीण मारे गए (5 बच्चे सहित)	
A3	बलद अल-शैख नरसंहार	31 दिसंबर 1947	पालमाख (हगाना)	बलद अल-शैख, हैफा	60-70 ग्रामीण मारे गए	
A4	सासा नरसंहार	14-15 फरवरी 1948	पालमाख (हगाना)	सासा, सफ़ेद जिला	60 ग्रामीण मारे गए (बच्चे सहित)	

क्र.	घटना	तारीख	अपराधी	स्थान	हताहत	क्यों परिभाषा में फिट बैठती है
A5	देयर यासीन नरसंहार	9 अप्रैल 1948	इर्गुन और लेही (हगाना की मौन सहमति)	देयर यासीन, यरुशलम गलियारा	107-140 ग्रामीण (महिलाएँ, बच्चे, बुजुर्ग सहित)	घर-घर व्यवस्थित हत्याएँ, विकृति, शवों का सार्वजनिक प्रदर्शन — फिलिस्तीनी आबादी को सामूहिक भागने के लिए डराने हेतु स्पष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया (1948 की निकासी का सीधा ट्रिगर)। कब्जे के बाद कैदियों और नागरिकों की फाँसी ताकि ऑपरेशन यिफ्ताह के दौरान सफेद क्षेत्र की आसपास की समुदायों को डराया जाए। बलात्कार और सामूहिक कब्रों के साथ हमला ताकि लोद-रामले विजय के हिस्से के रूप में गाँव को खाली और डराया जाए। आत्मसमर्पण के बाद युवकों की गोलीबारी और सामूहिक कब्रें ताकि तटीय फिलिस्तीनी भागने को मजबूर हों और हैफा सुरक्षित हो।
A6	ऐन अल-ज़ैतून नरसंहार	2-3 मई 1948	पालमाख (हगाना)	ऐन अल-ज़ैतून, सफेद	70+ ग्रामीण मारे गए	कब्जे के बाद कैदियों और नागरिकों की फाँसी ताकि ऑपरेशन यिफ्ताह के दौरान सफेद क्षेत्र की आसपास की समुदायों को डराया जाए। बलात्कार और सामूहिक कब्रों के साथ हमला ताकि लोद-रामले विजय के हिस्से के रूप में गाँव को खाली और डराया जाए। आत्मसमर्पण के बाद युवकों की गोलीबारी और सामूहिक कब्रें ताकि तटीय फिलिस्तीनी भागने को मजबूर हों और हैफा सुरक्षित हो।
A7	अबू शूशा नरसंहार	13-14 मई 1948	गिवती ब्रिगेड (हगाना)	अबू शूशा, रामले जिला	60-70 ग्रामीण मारे गए	घर-घर व्यवस्थित हत्याएँ, विकृति, शवों का सार्वजनिक प्रदर्शन — फिलिस्तीनी आबादी को सामूहिक भागने के लिए डराने हेतु स्पष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया (1948 की निकासी का सीधा ट्रिगर)। कब्जे के बाद कैदियों और नागरिकों की फाँसी ताकि ऑपरेशन यिफ्ताह के दौरान सफेद क्षेत्र की आसपास की समुदायों को डराया जाए। बलात्कार और सामूहिक कब्रों के साथ हमला ताकि लोद-रामले विजय के हिस्से के रूप में गाँव को खाली और डराया जाए। आत्मसमर्पण के बाद युवकों की गोलीबारी और सामूहिक कब्रें ताकि तटीय फिलिस्तीनी भागने को मजबूर हों और हैफा सुरक्षित हो।
A8	तंतूरा नरसंहार	22 मई 1948	अलेक्जेंड्रोनी ब्रिगेड (हगाना)	तंतूरा, हैफा तट	200+ ग्रामीण मारे गए	घर-घर व्यवस्थित हत्याएँ, विकृति, शवों का सार्वजनिक प्रदर्शन — फिलिस्तीनी आबादी को सामूहिक भागने के लिए डराने हेतु स्पष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया (1948 की निकासी का सीधा ट्रिगर)। कब्जे के बाद कैदियों और नागरिकों की फाँसी ताकि ऑपरेशन यिफ्ताह के दौरान सफेद क्षेत्र की आसपास की समुदायों को डराया जाए। बलात्कार और सामूहिक कब्रों के साथ हमला ताकि लोद-रामले विजय के हिस्से के रूप में गाँव को खाली और डराया जाए। आत्मसमर्पण के बाद युवकों की गोलीबारी और सामूहिक कब्रें ताकि तटीय फिलिस्तीनी भागने को मजबूर हों और हैफा सुरक्षित हो।

क्र.	घटना	तारीख	अपराधी	स्थान	हताहत	क्यों परिभाषा में फिट बैठती है
A9	ल्यdda (लोद) और रामले निष्कासन नरसंहार	11-14 जुलाई 1948	यिफ्ताख और 8वीं आर्मर्ड ब्रिगेड (यित्ज़ाक राबिन, पालमाख) बेन-गुरियन के आदेश पर	ल्यdda और रामले	250-1,700 मारे गए; 70,000 को जबरन निर्वासन में भेजा गया	अंधाधुंध गोलीबारी, मस्जिद नरसंहार (लगभग 200 मारे गए), और 40 °C गर्मी में मौत मार्च ताकि यरुशलम मार्ग के प्रमुख कस्बों को खाली और डराया जाए। आत्मसमर्पण के बाद हत्याएँ जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों ने दर्ज किया, ताकि लोअर गलील से ईसाई अरबों के निर्वासन को बाध्य किया जाए।
A10	एलाबून नरसंहार	30 अक्टूबर 1948	गोलानी ब्रिगेड (आईडीएफ)	एलाबून, टाइबेरियास जिला	14 ग्रामीण फाँसी पर	आत्मसमर्पण के बाद हत्याएँ जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों ने दर्ज किया, ताकि लोअर गलील से ईसाई अरबों के निर्वासन को बाध्य किया जाए।
A11	हूला नरसंहार	31 अक्टूबर 1948	कर्मेली ब्रिगेड (आईडीएफ)	हूला, लेबनानी सीमा	35-58 ग्रामीण मारे गए	आत्मसमर्पण के बाद फाँसियाँ; कमांडर को थोड़े समय के लिए जेल, लेकिन उद्देश्य ऑपरेशन हिराम के दौरान सीमा आबादी को डराना था। तीन चरणों में घरों, मस्जिद और गुफाओं में निवासियों की हत्या ताकि दक्षिणी मोर्चे पर बचे गाँवों को डराया जाए।
A12	अल-दवायमा नरसंहार	29 अक्टूबर 1948	89वीं कमांडो बटालियन (आईडीएफ)	अल-दवायमा, हेब्रोन जिला	80-455 नागरिक (अनुमान अलग-अलग)	आत्मसमर्पण के बाद फाँसियाँ, बलात्कार, शव जलाना, शरणार्थियों के साथ मस्जिद में विस्फोट ताकि
A13	सफसाफ और सालिहा नरसंहार	29-30 अक्टूबर 1948	7वीं आर्मर्ड ब्रिगेड (आईडीएफ)	सफसाफ और सालिहा, अपर गलील	सफसाफ में 52-70, सालिहा में 60-94	आत्मसमर्पण के बाद फाँसियाँ, बलात्कार, शव जलाना, शरणार्थियों के साथ मस्जिद में विस्फोट ताकि

क्र.	घटना	तारीख	अपराधी	स्थान	हताहत	क्यों परिभाषा में फिट बैठती है
A14	अरब अल-मवासी नरसंहार	2 नवंबर 1948	आईडीएफ बल	एलाबून के पास, टाइबेरियास	14 बेदुइन मारे गए	गलील से भागने में तेजी आए। पुरुषों की गोलीबारी और गाँव नष्ट करना ताकि खानाबदोश समूहों को पारंपरिक भूमि छोड़ने के लिए डराया जाए। निवासियों के अंदर घर और स्कूल डायनामाइट से उड़ाना, जॉर्डन सीमा गाँवों को डराने के लिए प्रतिशोध।
A15	किब्बा नरसंहार	14-15 अक्टूबर 1953	आईडीएफ यूनिट 101 और पैराट्रूपर्स (एरियल शैरॉन)	किब्बा, वेस्ट बैंक (तब जॉर्डन)	69 ग्रामीण (2/3 महिलाएँ और बच्चे)	सिनाई कब्जे के दौरान नियंत्रण के लिए घर-घर तलाशी के साथ सामूहिक फाँसियाँ और बंधे पुरुषों की कब्रें।
A16	खान यूनिस नरसंहार	3 नवंबर 1956	आईडीएफ बल	खान यूनिस, गाजा पट्टी	275-400 फिलिस्तीनी मारे गए	स्वेज संकट के दौरान लौटते मजदूरों पर अचानक कर्फ्यू के "गोली मारो" प्रवर्तन ताकि इजरायली अरब आबादी को डराया जाए।
A17	कफ्र कासिम नरसंहार	29 अक्टूबर 1956	इजरायली बॉर्डर पुलिस	कफ्र कासिम, इजरायल	49 अरब नागरिक (23 बच्चे सहित)	हत्या को सक्षम और सुविधाजनक बनाया ताकि शेष पीएलओ समर्थकों को डराया जाए और लेबनान से
A18	सब्रा और शतीला नरसंहार	16-18 सितंबर 1982	लेबनानी फलांजिस्ट (आईडीएफ के घेराव, फ्लेयर्स और प्रवेश नियंत्रण के तहत) (कहान आयोग ने	बेयरूत शरणार्थी शिविर	800-3,500 फिलिस्तीनी और लेबनानी नागरिक	हत्या को सक्षम और सुविधाजनक बनाया ताकि शेष पीएलओ समर्थकों को डराया जाए और लेबनान से

क्र.	घटना	तारीख	अपराधी	स्थान	हताहत	क्यों परिभाषा में फिट बैठती है
			एरियल शैरॉन को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया)			लड़ाकों की पूर्ण निकासी बाध्य की जाए।

B. आतंक के इरादे से लक्षित हत्याएँ / गैर-न्यायिक हत्याएँ

क्र.	घटना	तारीख	अपराधी	स्थान	हताहत	क्यों परिभाषा में फिट बैठती है
B1	लीलहैमर मामला	21 जुलाई 1973	मोसाद "रैथ ऑफ गॉड" टीम	लीलहैमर, नॉर्वे	निर्दोष मोरक्कोई वेटर अहमद बौचिखी की हत्या	सार्वजनिक गलत पहचान हत्या ताकि विश्वभर में पीएलओ नेटवर्क को डराया जाए (राज्य आतंक अभियान की क्लासिक हस्ताक्षर)। आवासीय ब्लॉक में जानबूझकर असमानुपातिक हथियार का प्रयोग ताकि हमास को कमजोर करते हुए जानबूझकर बड़े पैमाने पर नागरिक मौतें हों और गाजा आबादी को डराया जाए।
B2	सलाह शेहादेह हत्या	22 जुलाई 2002	इजरायली वायु सेना (1-टन बम)	गाजा सिटी (घनी आबादी)	15 मारे गए (शेहादेह की पत्नी, 14 साल की बेटी, 9 अन्य बच्चे सहित)	हजारों विस्थापितों वाले तंबू शिविर पर हमला ताकि कमांडर को खत्म करते हुए बड़े पैमाने पर नागरिक मौतों को स्वीकार कर गाजा प्रतिरोध को तोड़ा जाए।
B3	मोहम्मद देइफ हत्या (जुलाई 2024)	13 जुलाई 2024	इजरायली वायु सेना	खान यूनिस विस्थापित व्यक्ति शिविर	90+ नागरिक मारे गए (पुष्टि)	ज्यादातर निहत्थे प्रदर्शनकारियों (मेडिक और
B4	गाजा "ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न"	30 मार्च 2018 - दिसंबर 2019	आईडीएफ स्नाइपर यूनिट्स	गाजा-इजरायल बाड़	223 मारे गए, 13,000+ घायल (कई	

क्र.	घटना	तारीख	अपराधी	स्थान	हताहत	क्यों परिभाषा में फिट बैठती है
	स्नाइपर अभियान		स्पष्ट नियमों के तहत		स्थायी रूप से विकलांग)	पत्रकारों सहित) पर व्यवस्थित गोलीबारी ताकि गाजा आबादी को डराया जाए और सीमा विरोध रोका जाए।

C. बसावटकर्ता हिंसा (अक्सर राज्य दंडमुक्ति के साथ गैर-राज्य अभिकर्ता)

क्र.	घटना	तारीख	अपराधी	स्थान	हताहत	क्यों परिभाषा में फिट बैठती है
C1	मोहम्मद अबू खदैर की हत्या	2 जुलाई 2014	यहूदी चरमपंथी (बसावटकर्ता पृष्ठभूमि)	पूर्वी यरुशलम	16 साल के किशोर को अगवा कर पीटा और जिंदा जलाया गया	तीन इजरायली किशोरों की हत्या के बाद यरुशलम के फिलिस्तीनी निवासियों को डराने के लिए प्रतिशोधी जिंदा जलाना। सोते परिवार के घर पर "बदला" ग्रैफिटी के साथ
C2	दूमा आगजनी हमला	31 जुलाई 2015	अमीराम बेन-उलीएल और हिलटॉप यूथ नेटवर्क	दूमा गाँव, वेस्ट बैंक	18 माह का अली दवाबशेह जिंदा जल गया; दोनों माता-पिता बाद में मरे	आगजनी ताकि फिलिस्तीनियों को डराया जाए और भूमि कब्जा तेज किया जाए ("प्राइस-टैग" सिद्धांत)।
C3	वादी अस-सीक यातना घटना	12 अक्टूबर 2023	सैन्य शैली की वर्दी वाले सशस्त्र बसावटकर्ता	वादी अस-सीक, जॉर्डन घाटी	कई फिलिस्तीनी चरवाहों को घंटों यातना (सिगरेट से जलाना, पिटाई, पेशाब, यौन उत्पीड़न की कोशिश)	लंबी सैडिस्टिक यातना ताकि चरवाहा समुदायों को चराई भूमि छोड़ने के लिए डराया जाए।
C4	अप्रैल 2024 बसावटकर्ता उग्रता (बेंजामिन अचीमेयर हत्या के बाद)	12-15 अप्रैल 2024	सैकड़ों सशस्त्र बसावटकर्ता	11 फिलिस्तीनी गाँव (अल-मुगीय्यिर, दूमा आदि)	4 फिलिस्तीनी मारे गए, दर्जनों घायल, सैकड़ों घर/कारें जलाई गईं	असंबंधित गाँवों पर सामूहिक दंड पोग्रोम ताकि पूरे जिलों को डराया जाए और समर्पण या

क्र.	घटना	तारीख	अपराधी	स्थान	हताहत	क्यों परिभाषा में फिट बैठती है
C5	हुवारा उग्रता ("पोग्रोम")	26 फरवरी 2023	दर्जनों सशस्त्र बसावटकर्ता (सोशल मीडिया के माध्यम से संगठित)	हुवारा, नाब्लुस जिला, वेस्ट बैंक	1 फिलिस्तीनी मारा गया, ~400 घायल (गोलीबारी सहित), व्यापक संपत्ति विनाश (कारें/घर जलाए)	भागने को बाध्य किया जाए। बसावटकर्ता मौतों के बाद गाँव पर समन्वित बदला हमले, स्पष्ट रूप से फिलिस्तीनी आबादी को डराने और दंडित करने के लिए ("प्राइस-टैग" चुनाव के बाद वृद्धि)। फिलिस्तीनी कटाई करने वालों और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों पर हमला ताकि किसानों को डराया जाए, आजीविका बाधित की जाए और कटाई सत्र में भूमि तक पहुँच रोकी जाए।
C6	अफाफ अबू अलिया पर जैतून कटाई हमला	अक्टूबर 2025	इजरायली बसावटकर्ता (एकाधिक हमलावर)	अनिर्दिष्ट वेस्ट बैंक गाँव (जैतून बाग)	1 बेहोश पीटा गया (अफाफ अबू अलिया अस्पताल में); पत्रकार पर हमला	पशुओं पर क्रूरता प्रॉक्सी धमकी के रूप में ताकि चरवाहों को डराया जाए और चराई क्षेत्रों को आर्थिक रूप से छोड़ने को बाध्य किया जाए।
C7	भेड़ यातना घटना	नवंबर 2025	इजरायली बसावटकर्ता (फिल्माया गया समूह)	फिलिस्तीनी स्वामित्व वाला बाड़ा, वेस्ट बैंक	जानवर यातना/ मारे गए (बाड़े में भेड़ के बच्चे)	चरवाहों को डराया जाए और चराई क्षेत्रों को आर्थिक रूप से छोड़ने को बाध्य किया जाए।
C8	तुर्मुस अय्या, सिंजिल, ऐन सिनिया पर हमले (कैदी रिहाई के बाद)	17 जनवरी 2025	अल्ट्रानेशनलिस्ट बसावटकर्ता ("फाइटिंग फॉर लाइफ" समूह)	तुर्मुस अय्या, सिंजिल, ऐन सिनिया, रामल्ला जिला, वेस्ट बैंक	संपत्ति क्षति (एकाधिक घर/ वाहन जलाए); कोई मौत नहीं	कैदी रिहाई पर फिलिस्तीनी उत्सव खराब करने के लिए समयबद्ध आगजनी और तोड़फोड़, भय पैदा करने और

क्र.	घटना	तारीख	अपराधी	स्थान	हताहत	क्यों परिभाषा में फिट बैठती है
C9	उम अल-खैर में औदाह अल-हथालीन की गोलीबारी	जून 2025	बसावटकर्ता (यिनोन लेवी, ईयू-प्रतिबंधित)	उम अल-खैर, दक्षिण हेब्रोन हिल्स, वेस्ट बैंक	1 मारा गया (शांति कार्यकर्ता औदाह अल-हथालीन); रिश्तेदारों को आईडीएफ ने गिरफ्तार किया	प्रभुत्व स्थापित करने का उद्देश्य। कार्यकर्ता की लक्षित गोलीबारी के बाद पीड़ित परिवार की सैन्य गिरफ्तारियाँ ताकि बेदुइन समुदाय को डराया जाए और भूमि कब्जा सुगम हो (निरंतर विस्थापन अभियान)। खेत कार्य के दौरान पिता/बेटे पर गोलीबारी और पिटाई ताकि किसानों को डराया जाए और कृषि भूमि तक पहुँच सीमित की जाए।
C10	शादी अ-तरावाह और परिवार पर हमला	मई 2025	इजरायली बसावटकर्ता	क्रा'ुन प्लेन या समान, वेस्ट बैंक	1 घायल (शादी अ-तरावाह को गोली, पैर खोया); किशोर बेटे पर हमला	खेतों पर कब्जा करने के लिए चराई छापे ताकि ग्रामीण भागने को डराए जाएँ, व्यवस्थित भूमि अतिक्रमण का हिस्सा। पशुओं की हत्या ताकि चरवाहा परिवारों को आर्थिक रूप से डराया और पारंपरिक भूमि से विस्थापित किया जाए।
C11	खिलेत अ-दाबे' गाँव पर छापा	31 मई 2025	झुंडों वाले इजरायली बसावटकर्ता	खिलेत अ-दाबे', वेस्ट बैंक	संपत्ति/आजीविका क्षति (जानवरों के साथ छापा); कोई सीधा हताहत नहीं	पशुओं की हत्या ताकि चरवाहा परिवारों को आर्थिक रूप से डराया और पारंपरिक भूमि से विस्थापित किया जाए।
C12	बकरी के बच्चों की हत्या	25 मई 2025	इजरायली बसावटकर्ता	अनिर्दिष्ट वेस्ट बैंक चराई क्षेत्र	जानवर मारे गए (बकरी के बच्चे)	कटाई के दौरान किसान की संयुक्त बसावटकर्ता-
C13	नह्हालिन जैतून किसान हमला	24 अक्टूबर 2025	आईडीएफ समर्थन के साथ इजरायली बसावटकर्ता	नह्हालिन, बेथलेहेम जिला, वेस्ट बैंक	1 गंभीर रूप से पीटा गया (58 वर्षीय किसान);	

क्र.	घटना	तारीख	अपराधी	स्थान	हताहत	क्यों परिभाषा में फिट बैठती है
C14	बेइत लिद औद्योगिक एस्टेट और बेदुइन हमला	नवंबर 2025 (14 नवंबर से पहले हाल के दिन)	मुंह छिपाए बड़े बसावटकर्ता समूह	बेइत लिद (औद्योगिक एस्टेट) और पास के बेदुइन स्थल, वेस्ट बैंक	आईडीएफ द्वारा जाँच संपत्ति जलाई गई (ट्रक/ इमारतें); सैनिकों पर हमले; कोई फिलिस्तीनी हताहत निर्दिष्ट नहीं	सैन्य पिटाई ताकि भय पैदा हो और फिलिस्तीनी बागों तक पहुँच सीमित हो। संगठित आगजनी और हमले ताकि शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में असीमित पहुँच का संदेश दिया जाए, नागरिकों और यहाँ तक कि राज्य बलों को डराया जाए। पूजा स्थल पर आगजनी और सैन्य को धमकी देने वाला ग्रैफिटी ("हम तुमसे नहीं डरते") ताकि मुस्लिम समुदायों को डराया जाए और वैचारिक श्रेष्ठता स्थापित की जाए। रात में वाहनों और संरचनाओं को जलाना ताकि निवासियों को डराया जाए और बढ़ती कटाई-सत्र हिंसा में दैनिक जीवन बाधित हो।
C15	हमीदा मस्जिद आगजनी	नवंबर 2025 (14 नवंबर से पहले गुरुवार)	यहूदी बसावटकर्ता	हमीदा मस्जिद क्षेत्र, वेस्ट बैंक	संपत्ति क्षतिग्रस्त (दीवारों/फर्श पर जलने के निशान); कोई मौत नहीं	देने वाला ग्रैफिटी ("हम तुमसे नहीं डरते") ताकि मुस्लिम समुदायों को डराया जाए और वैचारिक श्रेष्ठता स्थापित की जाए। रात में वाहनों और संरचनाओं को जलाना ताकि निवासियों को डराया जाए और बढ़ती कटाई-सत्र हिंसा में दैनिक जीवन बाधित हो।
C16	बुर्का गाँव आगजनी हमला	15 जुलाई 2025	इजरायली बसावटकर्ता (रात का छापा)	बुर्का, रामल्ला के पूर्व, वेस्ट बैंक	एकाधिक कारें/ घर आग से नष्ट; कोई चोट नहीं	ताकि निवासियों को डराया जाए और बढ़ती कटाई-सत्र हिंसा में दैनिक जीवन बाधित हो।
C17	मुगय्यिर अल-देइर विस्थापन अभियान	मई 2025	आईडीएफ उपस्थिति के साथ मुंह छिपाए बसावटकर्ता	मुगय्यिर अल-देइर, रामल्ला के पूर्व, वेस्ट बैंक	कई घायल (पत्थरबाजी, गोलीबारी); पूर्ण गाँव विस्थापन	उत्पीड़न, पत्थरबाजी और गोलीबारी जिसने दूसरा विस्थापन (1948 शरणार्थी) बाध्य किया ताकि भूमि

क्र.	घटना	तारीख	अपराधी	स्थान	हताहत	क्यों परिभाषा में फिट बैठती है
C18	तायबेह ईसाई कस्बे पर हमले	जुलाई 2025 (17 जुलाई से पहले पिछले सप्ताह)	इजरायली बसावटकर्ता	तायबेह, वेस्ट बैंक (ईसाई कस्बा)	संपत्ति पर हमले (5वीं सदी की गिरजाघर के पास आग, घर); कोई हताहत निर्दिष्ट नहीं	कब्जे के लिए गाँव खाली हो। ऐतिहासिक गिरजाघर के पास आग और घरों पर हमले ताकि अल्पसंख्यक ईसाई फिलिस्तीनियों को डराया जाए और बसावटकर्ता नियंत्रण बढ़ाया जाए। फिलिस्तीनी हमलों के बाद बदला पिटाई, लेकिन व्यापक समुदाय को दंडमुक्ति के साथ डराने के लिए इस्तेमाल। सामान्य गतिविधियों के दौरान परिवार-लक्षित हिंसा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भय पैदा हो और गतिशीलता सीमित हो।
C19	सिंजिल हमले (हत्याओं के बाद)	जुलाई 2025 (17 जुलाई से पहले शुक्रवार)	इजरायली बसावटकर्ता	सिंजिल, वेस्ट बैंक	हमलों से चोटें; 6 गिरफ्तार/रिहा	
C20	बी'त्सेलेम-संचालित किशोर हमला और पिता गोलीबारी	जून 2025	इजरायली बसावटकर्ता	अनिर्दिष्ट वेस्ट बैंक क्षेत्र	1 गोली (पिता ने पैर खोया); किशोर पर हमला	

ये 32 घटनाएँ (18 नरसंहार, 4 लक्षित हत्याएँ, 20 बसावटकर्ता हमले) यूएनजीए संकल्प 49/60 के हर तत्व को स्पष्ट रूप से पूरा करती हैं जब परिभाषा को शाब्दिक रूप से और राज्य या राज्य-संरक्षित अभिकर्ताओं को सामान्य राजनीतिक छूट के बिना लागू किया जाता है। इनसे सामूहिक रूप से हजारों नागरिक मौतें हुईं और इनका उद्देश्य — जैसा अपराधियों, कमांडरों या बाद की इजरायली जाँचों द्वारा स्वीकार किया गया — आतंक पैदा करना, आबादी को डराना या राजनीतिक/क्षेत्रीय परिणाम बाध्य करना था।